

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/ 13

भोपाल, दिनांक 07/01/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला -बड़वानी, भिंड, बैतुल, सिवनी, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, रीवा, सीहोर एवं शिवपुरी

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक

जिला चिकित्सालय देवास

मध्य प्रदेश

विषय : चिकित्सा अधिकारियों के लिये जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी में प्रशिक्षण दिनांक 28 जनवरी से 02 फरवरी 2019 ।

जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी एक स्वयं सेवी संस्था है, यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के समीप स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य न्यूनतम लागत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित निवारक (Preventive) एवं रोग निवारक (Curative) सुविधाएँ क्षेत्र के गरीब एवं आदिवासी जनता को सुलभ एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना है। जन स्वास्थ्य सहयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी संस्था की वेब साईट <http://www.jssbilaspur.org/about-jss/> पर देखी जा सकती है।

जन स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से प्रदेश के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये एक सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का दसवां सत्र दिनांक 28 जनवरी से 02 फरवरी 2019 तक आयोजित किया गया है जिसमें भाग लेने हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया जाता है-

S.No.	Name of Medical Officer	Mobile No.	Place of Posting	District
1	Raghvendra Singh Mandloi	9893614390	CHC, Palsud	Badwani
2	Harshvardhan Gupta	9953305003	PHC, Mihona	Bhind
3	Vikas Dwivedi	9827528684	PHC, Machhand	Bhind
4	Kavita Kori	9669967925	CHC, Ghodadongri	Betul
5	Sumit Pattaiya	9993447514	PHC, Khandara	Betul
6	Amreen Shaikh	9424887617	District Hospital	Dewas
7	Archana Pavnkar	7898787565	District Hospital	Dewas
8	Pavan Ningwal	9589397883	PHC, Keli	Khargone
9	Deepak Shastre	7746835130	CHC, Jhirania	Khargone
10	SAPNA PATIDAR	7415289943	Civil Hospital, Garoth	Mandsaur

11	NAZIA KHAN	9589022805	PHC, Bangrod	Ratlam
12	Ajay Prakash Tripathi	9685704010	PHC Chachai	Rewa
13	PRADUMAN KUMAR SHUKLA	9752298482	PHC, Devtalab	Rewa
14	Himanshu Bhardwaj	7974801845	CHC Nasrullaganj	Sehore
15	Pavan Kumar Gupta	9300303155	CHC, Khaniyadhana	Shivpuri

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था गनियारी/बिलासपुर में संस्थान के द्वारा ट्वीन शेयरिंग आधार पर रहेगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के लिये यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान शासकीय नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रशिक्षण मद से किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
7. नामांकित चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि वसूली योग्य होगी।
8. नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी munshi.rakesh@gmail.com पर प्राप्त करना आवश्यक है।
9. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को जन स्वास्थ्य सहयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, ठहरने की व्यवस्था एवं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से संस्थान पहुँचने के लिये वाहन व्यवस्था हेतु श्री जुनेद कमाल, प्रशिक्षण समन्वयक से ईमेल आईडी igunatmac@gmail.com मोबाईल नं. 7999568455, 9424417637 पर संपर्क किया जा सकता है।


स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. डॉ रमन कटारिया, जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
4. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश